बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आदेश

पत्रांक--05 / स्था0 (आरोप)--11 / 2016..... / परि0 पटना, दिनांक..

श्री विनोद कुमार सिंह, मोटर यान निरीक्षक, नालन्दा को निगरानी टीम द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या--143 दिनांक-- 16.01.2017 द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की तिथि 30.12.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था।

दिनांक 25.04.2017 को जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा दिनांक--02.05.2017 को परिवहन विभाग में योगदान देने की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम--9(3)(i) के तहत उन्हें निलंबन--मुक्त किया जाता है।

2. चूँकि श्री विनोद कुमार सिंह के विरूद्ध पकड़े गये दो ट्रकों के मालिक से अवैध रूप से रू0--1,50,000 / --(एक लाख, पचास हजार रूपये) मात्र प्राप्त कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने के लिए निगरानी थाना कांड सं0--158 / 2016 दिनांक--30.12.2016 दर्ज किया गया है और उनको पुनः पदस्थापित किये जाने से उनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया जा सकता है, अतः बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम --9(3)(ii) के तहत इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम --10(i) के अनुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

5. श्री सिंह के विरूद्ध आरोप--पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

ह0 / --
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार,पटना।

निबंधित / इमेल

ज्ञापांक--05 / स्था0 (आरोप)--01 / 2016....2994 / परि0 पटना, दिनांक.. 8/6/17

प्रतिलिपि-- जिला पदाधिकारी, नालन्दा / पटना; संयुक्त आयुक्त--सह--सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना / गया; कोषागार पदाधिकारी, पटना / नालन्दा; जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा / पटना तथा श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन मोटर यान निरीक्षक, नालन्दा(सम्प्रति निलंबित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाइ हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार,पटना।